राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2017"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर जिला-अजमेर

राजस्व वाद संख्या 83/2011

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प – किशनपुरा

श्री दुर्गासिंह पुत्र स्व. श्री किशना उर्फ किशनसिंह, जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी ग्राम भैसापा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज.) ————वादी

बनाम

1– श्रीमति रूकमा पत्नि स्व. श्री किशना उर्फ किशनसिंह, आयु वयस्क, निवासी ग्राम भैसापा, तहसील ब्यावर, हाल निवासी ग्राम सम्भूपुरा, जरडी महादेव, पोस्ट उम्मा जी का खेडा वाया बिजोलिया, तहसील माण्डलगढ, जिला भीलवाड़ा (मृतक)

2– श्री पांचूसिंह पुत्र स्व. श्री मल्लासिंह, आयु वयस्क,

3– श्री जीवनसिंह पुत्र स्व. श्री मल्लासिंह, आयु वयस्क, (मृतक)

3/1– श्रीमति लाली देवी पत्नि श्री स्व0 श्री जीवनसिंह आयु 50 वर्ष

3/2– नरेन्द्रसिंह पुत्र श्री जीवनसिंह आयु 25 वर्ष

3/3– श्रीमति सुगना पुत्री स्व0 जीवनसिंह आयु 20 वर्ष

समस्त जाति रावत, निवासीयान ग्राम भैसापा, ब्यावर, जिला अजमेर (राज.)

4– राजस्थान सरकार जरिये भू धारक श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज.) ————प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
एवं सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 18.05.2017

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प कोर्ट किशनपुरा में प्रस्तुत हुआ। वादी ने अपने वाद पत्र में सारांशतः कथन किया है कि वादी की पैतृक आराजी कृषि भूमि मौजा ग्राम भैसापा, पटवार हल्का किशनपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र किशनपुरा, तहसील ब्यावर, में वर्णित आराजी खसरा नंबर 320 रकबा 00–08–00 किस्म बारानी.3, 321 रकबा 01–00–00 किस्म बारानी.3, 323 रकबा 01–12–00 किस्म बारानी.3, स्थित है। वादी के परिवार में सजरा अनुसार वारिसान मल्ला (फौत) व इनके वारिसान किशना पुत्र मल्ला (फौत) व जीवन पुत्र मल्ला व पांचू पुत्र मल्ला व इनके वारिसान श्रीमति रूकमा पत्नि किशना व दुर्गासिंह दत्तक पुत्र किशना हैं। उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात वादी की पैतृक आराजी कृषि भूमि हैं, जो कि स्व. श्री मल्ला से विरासत में प्राप्त हुई है एवं स्व. श्री मल्ला की मृत्यु के पश्चात मल्ला के वारिसान प्रतिवादीया संख्या 1 के पति श्री किशना व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम राजस्व रेकॉर्ड में अंकन दर्ज चली आयी है। स्व. श्री किशना व प्रतिवादीया संख्या 1 श्रीमति रूकमा ने दिनांक 02/11/2006 को वादी श्री दुर्गासिंह को जरिये गोदनामा के गोद लेकर जायंदा संतान के समान समस्त अधिकार वादी को प्रदत्त कर दिये थे एवं चूंकि स्व. श्री किशना के जीवनकाल में श्री किशना व श्रीमति रूकमा के पति पत्नि धर्म से कोई जायंदा संतान उत्पन्न नहीं हुए थे एवं श्री किशना की आयु वादी को गोद लेते समय 50 वर्ष थी व श्री किशना की पत्नि प्रतिवादीया संख्या 1 श्रीमति रूकमा की आयु भी 45 वर्ष थी, इस प्रकार श्री किशना ने श्रीमति रूकमा की पूर्ण सहमति व इन दोनों पति–पत्नि की आंतरिक इच्छा से वादी के गांव व समाज के मौतबिर व्यक्तियों की उपस्थिति में हिन्दू रीति–रिवाजानुसार दत्तक पुत्र वादी को गोद लिया था एवं उक्त गोदनामा तहरीर कराने से पूर्व से ही जब वादी 5–6 साल का था, तब से ही स्व. श्री किशना व प्रतिवादीया संख्या 1 श्रीमति रूकमा ने वादी को अपने पास रखकर पढ़ाया–लिखा व वादी को अपना जायंदा पुत्र मानते हुए बतौर पुत्र के रखा एवं चूंकि आगे स्व. श्री किशना की चल अचल सम्पत्ति को लेकर कोई विवाद आदि ना हो व वादी की सेवा चाकरी से खुश होकर दिनांक 02/11/2006 को जबकि वादी की आयु 14 वर्ष थी, तब ही 100/–रूपये के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर गोदनामा तहरीर कराकर श्री जीवनसिंह व श्री जीवणसिंह की पत्नि श्रीमति लाली से श्री जीवण के पुत्र वादी को दत्तक पुत्र बतौर गोदनामा के ले लिया एवं दत्तक

....................लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

लेने वाले व दत्तक देने की पूर्ण स्वतंत्र सहमति से वादी को गोद दिया व लिया था, तब से वादी को स्व. श्री किशना की अचल सम्पत्ति में बतौर जायदा पुत्र के अधिकार प्राप्त हो गये हैं एवं आज भी वादी स्व. श्री किशना की चल अचल सम्पत्ति पर काबिज है। वादी के पिता श्री किशना का स्वर्गवास पूर्व में हो चुका है एवं वादी के पिता श्री किशना की मृत्यु के पश्चात वादी की माता श्रीमति रूकमा ने अपनी कोई जायंदा संतान न होने का विरदारा दिखाते हुए प्रतिवादी संख्या 5 के अधिनस्थ कर्मचारी पटवारी हल्का किशनपुरा में नामांतरकरण संख्या 165 दिनांक 20/05/2011 को प्रतिवादीया संख्या 1 श्रीमति रूकमा ने अकेली अपने नाम खातेदारी अंकन दर्ज करवा लिया है, जो कि गलत, असत्य, मनगढ़ंत, गैरकानूनी व विधिविरूद्ध है, जिसे वादी दुरूस्त करवा वादग्रस्त आराजीयात में से अपने हक 1/6वीं भाग की खातेदारी राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करवाने का अधिकारी है। उपरोक्त आराजियात को दिनांक 04/06/2011 को प्रतिवादीया संख्या 1 प्रतिवादीया संख्या 2 को बेचान करने हेतु वादग्रस्त आराजियात के मौके पर लाकर दिखा रही थी, जिसका विरोध वादी ने किया, तब प्रतिवादीया संख्या 1 ने वादी को ऐलानिया धमकी दी कि मैं मेरे हिस्से में आयी आराजी कृषि भूमि को मेरे स्वयं के नाम चढ़वा ली है और अब मैं उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात में से मेरे हिस्से में आयी आराजी कृषि भूमि को बेचान करके रहूंगी, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड सकता। तब वादी ने दिनांक 05/06/2011 को अपने गांव के मौतबिर व्यक्तियों को एकत्रित करके प्रतिवादीया श्रीमति रूकमा से निवेदन किया कि उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात को अन्यत्र बेचान हस्तांतरण आदि न करके, जिस पर पुनः प्रतिवादीया संख्या 1 आग बबूला हो गयी और धमकियाँ दी कि मेरे तुम कोई पुत्र नहीं हो, मैं मेरे पति के नाम की चल अचल सम्पत्ति को बेचान आदि करूं तो मुझे रोक नहीं सकते, इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 1 वादी की हक, हिस्से की आराजी कृषि भूमि वादग्रस्त आराजीयात को अन्यत्र बेचान कर खुर्दबुर्द करने पर आमादा हैं, इसलिये वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। साथ ही वादी ने विरूद्ध प्रतिवादीगण निवेदन किया कि घोषणात्मक डिक्री पारित फरमाई जावे व स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे एवं रहन, बेचान, हस्तांतरण करने से पाबंद किया जावे तथा खर्चा वाद प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद नोटिस तामील उपस्थित नही होने पर एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रकरण में वादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 2 जाब्ता दीवानी का पेश कर निवेदन किया है, कि प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमति रूकमा की मृत्यु दिनांक 13.7.2013 को हो चुकी है, और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके वारीस वादी के अतिरिक्त अन्य कोई वारीस जीवित नही है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 के नाम के आगे मृतक शब्द अंकित किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 के वारीस श्रीमति कंकूदेवी पत्नि महावीरसिंह व विक्रमसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति रावत निवासी खेडी का खेडा ने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 2 जाब्ता दीवानी व काउन्टर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी व आदेश 22 नियम 4 जाब्ता दीवानी का पेश कर निवेदन किया कि श्रीमति रूकमा द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 30.7.2011 को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति के लिये वसीयत दिनांक 30.7.2011 को निष्पादित की थी जिसमें प्रार्थीगण को अपनी मृत्यु के बाद उक्त भूमि का वारीस मालिक बनाया था इस कारण उसकी मृत्यु के बाद उक्त प्रकरण में मृतक प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर प्रार्थीगण को पक्षकार बनाया जावे अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को पक्षकार मुकदमा बनाया जावे।

......................लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2017"

श्री दुर्गासिंह बनाम श्रीमती रूकमा व अन्य
राजस्व वाद संख्या 193/2014
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 एवं भू राजस्व अधिनियम
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प - किशनपुरा

प्रार्थना पत्र पर वादी स्वयं एवं श्री नरेन्द्र, डाली, सुगना को मजमें आम में सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश की गई जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 रूकमादेवी की मृत्यु दिनांक 13.07.2013 को होना पाया गया। तथा प्रार्थीगण श्रीमति कंकूदेवी व विक्रमसिंह ने कथन किया कि उक्त प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमति रूकमादेवी ने अपने जीवनकाल में वसीयतनामा दिनांक 30.7.2011 को निष्पादित करने का कथन किया कि है किन्तु उक्त वसीयतनामा असल अथवा उसकी कोई प्रति उक्त जवाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नही की है, ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाता है, तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम के आगे मृतक शब्द अंकित किया जाता है, तथा प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार योग्य नही पाये से अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है।

प्रकरण में वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 22 नियम 9 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी का पेश कर निवेदन किया है, कि प्रतिवादी संख्या 3 की मृत्यु दिनांक 27.7.2013 को हो चुकी है, जिसकी जानकारी आज होने पर उनके वारीसान को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है, तथा जानकारी से अन्दर मियाद उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश पारित किया जावे। प्रार्थना पत्र पर सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र के विषय में प्रतिवादी ने कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो के अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 3 के वारीसान को रेकार्ड पर लिया जाता है।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया जमाबंदी संवत 2067 से 2070 के अनुसार विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज होना पाया गया। गोदनामा दिनांक 02.11.2006 में गोद देने वाले जीवनसिंह पुत्र मल्लासिंह व श्रीमति डाली पत्नि जीवनसिंह एंव गोद लेने वाले श्री किशनसिंह पुत्र मल्लासिंह, श्रीमति रूकमा पत्नि श्री किशनसिंह एंव गोद जाने वाला श्री दुर्गासिंह उम्र 14 साल जायन्दा पुत्र जीवनसिंह के द्वारा निष्पादन किया जाना पाया गया। किन्तु उक्त गोदनामा पंजीयन नही होना पाया गया। वादी दुर्गासिंह के द्वारा अध्ययन किये जाने के दस्तावेज टी0सी0 में वादी की जन्म दिनांक 04.04.1988 दर्ज होना पाया गया। ऐसी स्थिति में गोदनामा लिये जाने के समय वादी की उम्र 18 साल थी जो "हिन्दु एडोप्शन एक्ट के सैक्शन 10(4) के अनुसार 15 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति गोद नहीं जा सकता है।" इसलिये कानूनन वादी को गोद लिया ही नही जा सकता था। इसके अतिरिक्त भी वादीगण ने अपने वादपत्र में स्वयं ही अंकित किया है कि प्रतिवादिया संख्या 1 स्वयं ही सारी भूमियां अपने नाम अंकित करवा ली तथा उसे गोदपुत्र मानने से इंकार कर रही है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजी साक्ष्य एवं विवेचन के अनुसार वादी का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

अतः बाद वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है, खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2017 को मेरे द्वारा कैम्प कोर्ट किशनपुरा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2017"

डिगरी मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुकाम ब्यावर
व अजलाम पीयुष समारिया आई. ए. एस.
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
राजस्व वाद संख्या 83 सन् 2011
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प –किशनपुरा

श्री दुर्गासिंह पुत्र स्व. श्री किशना उर्फ किशनसिंह, जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी ग्राम भैसापा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज.)

———वादी

ब नाम

1– श्रीमति रूकना पत्नि स्व. श्री किशना उर्फ किशनसिंह, आयु वयस्क, निवासी ग्राम भैसापा, तहसील ब्यावर, हाल निवासी ग्राम शम्भूपुरा, जरडी महादेव, पोस्ट उम्मा जी का खेडा वाया बिजोडिया, तहसील माण्डलगढ, जिला भीलवाडा (मृतक)

2– श्री पांधूसिंह पुत्र स्व. श्री मल्लासिंह, आयु वयस्क,

3– श्री जीवनसिंह पुत्र स्व. श्री मल्लासिंह, आयु वयस्क, (मृतक)

3/1– श्रीमति डाली देवी पत्नि श्री स्व0 श्री जीवनसिंह आयु 50 वर्ष

3/2– नरेन्द्रसिंह पुत्र श्री जीवनसिंह आयु 25 वर्ष

3/3– श्रीमति सुगना पुत्री स्व0 जीवनसिंह आयु 20 वर्ष
समस्त जाति रावत, निवासीयान ग्राम भैसापा, ब्यावर, जिला अजमेर (राज.)

4– राजस्थान सरकार जरिये भू धारक श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज.)

———प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>
<u>एवं सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम</u>

अधिवक्ता वादी – श्री सुरजसिंह
अधिवक्ता प्रतिवादी – श्री सी0डी0सांखला, श्रीभगवती प्रसाद वर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादी सं.4से5 – पेरोकार सरकार तहसीलदार ब्यावर
मुकदमा राजस्व वाद नम्बर :– 83/2011
निर्णय/डिक्री दिनांक :– 18.05.2017

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट किशनपुरा में पेश हुआ। वादी उपस्थित। प्रार्थी नरेन्द्र,डाली,सुगना उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 4 से 5 पेरोकार सरकार उपस्थित। मजमें आम में मौजूद पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18.05.2017 को पीयुष समारिया (आई.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष लोक अदालत शिविर/कैम्प कोर्ट किशनपुरा में अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है वाद वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है, खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

(पीयुष समारिया)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

..........................लगातार

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2017"

डिक्री मुकदमा इजराई
श्री [illegible] बनाम श्रीमती [illegible] व अन्य
राजस्व वाद संख्या 138/2014
वाद पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा [illegible] भू राजस्व अधिनियम
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प – किशनपुरा

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(पीयूष समारिया)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर